72/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 72/2016 स्टेट बैंक आफ इण्डिया मुख्य शाखा 4सी रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर बनाम 1—मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी स्थित दुकान नम्बर 18/6 गोल बाजार गांधी चौक श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर विजय मिगलानी पुत्र श्री मोहनलाल मिगलानी निवासी मकान न0 664 वार्ड न0 24 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर 2—अजय मिगलानी पुत्र श्री मोहनलाल निवासी मकान नम्बर 664, वार्ड न0 24, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.01.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी प्रोपराईटर श्री विजय मिगलानी को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 6,00,000 रूपये (अखरे छः लाख रूपये) दिनांक 26.06.2012 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी के प्रोपराईटर श्री विजय मिगलानी द्वारा **Shop No. 18/6, Measuring (1st floor only) 1/2 Southern Side of 1/6 Northern part Measuring (120 Sqft) Situated at Goal Bazar, Gandhi Chowk, Sriganganagar** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी ऋणी का ऋण खाता दिनांक 30.01.2016 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी व गारन्टर के नाम दिनांक 01.02.2016 को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। अप्रार्थी ऋणी की तरफ दिनांक 01.02.2016 को 5,43,582रूपये बकाया है इसके बाद बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे अतिरिक्त है। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी प्रोपराईटर श्री विजय मिगलानी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पति **Shop No. 18/6, Measuring (1st floor only) 1/2 Southern Side of 1/6 Northern part Measuring (120 Sqft) Situated at Goal Bazar, Gandhi Chowk, Sriganganagar** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी प्रोपराईटर श्री विजय मिगलानी को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 6,00,000 रूपये (अखरे छः लाख रूपये) दिनांक 26.06.2012 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी के प्रोपराईटर श्री विजय मिगलानी द्वारा **Shop No. 18/6, Measuring (1st floor only) 1/2 Southern Side of 1/6 Northern part Measuring (120 Sqft) Situated at Goal Bazar, Gandhi Chowk, Sriganganagar** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.01.2016 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी व गारन्टर को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 16.02.2016 का दिनांक 01.02.2016 को बकाया राशि 5,43,582/–रूपये व इसके बाद बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भिजवाया गया। रजि0 एडी रसीद अनुसार धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी प्रोपराईटर श्री विजय मिगलानी व गारन्टर अजय मिगलानी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी प्रोपराईटर श्री विजय मिगलानी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पति **Shop No. 18/6, Measuring (1st floor only) 1/2 Southern Side of 1/6 Northern part Measuring (120 Sqft) Situated at Goal Bazar, Gandhi Chowk, Sriganganagar** का भौतिक कब्जा बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी मैसर्स श्री आनन्द शू कम्पनी प्रोपराईटर श्री विजय मिगलानी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पति **Shop No. 18/6, Measuring (1st floor only) 1/2 Southern Side of 1/6 Northern part Measuring (120 Sqft) Situated at Goal Bazar, Gandhi Chowk, Sriganganagar** का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

152-53
18/1/17

सा/-
(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर